न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 92/2022

उनवान

1. पुष्पादेवी पुत्री ताराचन्द, जाति यादव नि0 सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, हाल नि0 यादव भवन पुराने पावॅर हाउस के पीछे, शिवपुरी, अजमेर,
2. सरस्वती पुत्री ताराचन्द, जाति यादव नि0 सुतरखाना मौहल्ला, नसीराबाद, हाल नि0 म0न0 12 ओटो स्टेण्ड हाउसिंग बोर्ड किशनगढ अजमेर,

—— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नवीन गुर्जर

बनाम

1 ललितादेवी पत्नि स्व. उदयसिंह,
2. आशा पुत्री स्व. उदयसिह,
3. विजेश पुत्र स्व. उदयसिंह ,
4. मुकेश पुत्र स्व. उदयसिह,
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व. उदयसिंह,
6. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. उदयसिंह,
7. जयसिंह पुत्र स्व. ताराचन्द,
8. मंजूदेवी पत्नि स्व. करण यादव,
9. कृष्णगोपाल पुत्र करण यादव,
10. महेश यादव पुत्र करण यादव,
11. दिनेश यादव पुत्र करण यादव समस्त जातिगण यादव, निवासी सुत्तरखान मोहल्ला नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज0),
12. राजेश यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
13. रमेश यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
14. उषा यादव पुत्री भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
15. मानसिंह यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
16. धीरज यादव पुत्र भगवतीदेवी पुत्री स्व. ताराचन्द,
17. सीमा यादव पुत्र भगवतीदेवी स्व. ताराचन्द,
18. आनन्द यादव पुत्र संपत यादव पुत्री स्व. ताराचन्द,
19. हेमलता यादव पुत्री संपत यादव पुत्री स्व. ताराचन्द
20. धर्मवीर यादव पुत्र संपत यादव पुत्री स्व. ताराचन्द,
21. विमला पत्नि स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
22. नरेन्द्र पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
23. नरेश पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
24. चन्द्रप्रकाश पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
25. भूपसिंह पुत्र स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम समस्त यादव निवासी सुत्तरखाना नसीराबाद जिला अजमेर,
26. सविता पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

27. मधु पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
28. मीना पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
29. प्रिया पुत्री स्व. भंवरलाल पुत्र स्व. सालगराम,
30. वीरेन्द्र पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम ,
31. उमेश पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
32. प्रेम पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
33. कौशल पुत्र स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
34. पुष्पा पुत्री स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
35. सुनिता पुत्री स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
36. मन्जू पुत्री स्व. विमला पुत्री स्व. सालगराम,
37. सुमित्रा पत्नि रामनिवास पुत्र स्व. सालमराम ,
38. वीरेन्द्र पुत्र रामनिवास पुत्र स्व. सालगराम,
39. शशि पुत्री रामनिवास पुत्र स्व. सालगराम,
40. लक्ष्मी पत्नि स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
41. सावन पुत्र स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
42. वर्षा पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
43. ऋतु पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
44. मोना पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
45. नीतू पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
46. शीतल पुत्री स्व. भागचन्द पुत्र स्व. सालगराम,
47. कमला पुत्री स्व. सालगराम,
48. नंदकिशोर पुत्र स्व. सालगराम,
49. मीरा पत्नि स्व. शंकर पुत्र स्व. सालगराम,
50. पंकज पुत्र स्व. शंकर पुत्र स्व. सालगराम,
51. रीना पुत्री स्व. शंकर पुत्र सालगराम,
52. चन्द्रप्रकाश उर्फ लाला पुत्र स्व. शंकर पुत्र स्व. सालगराम,
53. चांदमल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
54. रामलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
55. मुरली पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
56. बंशीलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
57. श्यामलाल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
58. सूरजमल पुत्र स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
59. सुनीता पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
60. सुनील पुत्र स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल ,
61. हेमा पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
62. मधु पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
63. गौरव पुत्र स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
64. निहारिका पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
65. कौशल्या पुत्री स्व. रामप्यारी पुत्री स्व. मोहनलाल,
66 निर्मल पुत्र स्व. दुर्गा पुत्री स्व. मोहनलाल,
67. विमल पुत्र स्व. दुर्गा पुत्री स्व. मोहनलाल,
68. बबली पुत्री स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,
69. गायत्री पुत्री स्व. मोहनलाल पुत्र स्व. धन्ना,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तारागढ़ (अजमेर)

70. नाथू सिंह पुत्र स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
71. अशोक पुत्र स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
72. कृष्णा पत्नि रामचन्द्र पुत्र स्व. धन्ना,
73. मनीषा पुत्री स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. धन्ना,
74. गीतांजलि पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
75. मालती पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
76. लाजवंती पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
77. मैना पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना,
78. माया पुत्री स्व. उमराव पुत्र स्व. धन्ना ,
79. मधु पत्नि स्व. जुगनू ,
80. लक्षिता पुत्री स्व. जुगनू ,
81. अक्षिता पुत्री स्व. जुगनू,
82. विनय पुत्र स्व. जुगनू समस्त जातिगण यादव निवासी सुतरखाना मोहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर,
83. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद कार्यालय तहसील नसीराबाद जिला अजमेर,
84. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण :– 30 से 36 94 से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
55 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
5, 8 व 9 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
3, 4, 7, 11, 5 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
83 व 84 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : 20/8/24

–: आदेश :–

प्रार्थीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू, धोलादांता देराठू, बारापत्थर व राताखेडा में प्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी काश्तकारी की आराजी स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का कदीमी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त आराजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम देराठू :–

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
700	2–10–0	670	2–10–0	885	0.40
896	0–12–0	864	0–12–0	1174	0.20
897	2–5–10	864	2–5–10	1171	0.15
899	0–4–10	864	0–4–10	1169	0.03
894	0–19–0	864	0–19–0	1172	0.04
895	3–12–0	864	3–12–0	1170	0.11
902	7–17–10	867	7–17–10	1176	1.30
906	6–13–10	872	6–13–10	1185	0.03
909	7–9–0	875	0–18–0	1189	1.86
		87	0–11–0		

Signature Not Verified
Digitally signed by Devilal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

907	7–15–10	873	1–10–0	1186	0.03
				1191	1.09
				1187	0.05
898	12–15–0	865	12–0–0	1175	2.86
859	2–1–10	815	2–1–10	1140	0.33
860	2–11–10	816	2–11–10	1138	0.42
936	3–12–0	907	3–12–0	1203	0.58
4709	4–5–0	35	4–5–0	1/554	0.69
4712	0–10–0	38	0–10–0	1/557	0.67
4713	0–11–0	38	0–5–10		
4714	0–10–0	38	0–10–8		
4715	0–15–0	39	0–15–0	1/555	0.20
4716	0–18–0	36	0–18–0	1/555	0.05
4717	0–3–0	37	0–3–0	1/556	0.02
4718	0–13–0	38	0–18–0	1/557	0.33
4719	0–13–0	38	0–13–0		

बारापत्थर

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
564	0–7–10	585	0–7–10	718	0.06
817	1–17–0	865	7–3–10	1077	0.84
818	5–6–10				
564 मिन.	5–0–0	575	0.81	701	0.81
559	0–7–0	573	0.10	696/1280	0.10
560 मिन.	5–3–0	571	0.52	696	0.90
550	0–8–10	577	0.38		
537	1–17–10	549 मी.	0.05	656	0.05
		549 मी.	0.25	658	0.25
529	0–10–0	548	0.10	657	0.10
535	3–7–0	551 मी.	0.66	660	0.66
546 मी.	0–2–0	551 मी.	0.02	661	0.02
545	3–7–0	551 मी.	0.02	661	0.02
546	0–4–0	552 मी.	0.03	662	0.03
547 मी.	0–11–0	552 मी.	0.21	663	0.21
543 मी	0–5–0	559	0.04	665	0.04
542	0–6–10	558	0.05	666	0.05
541	2–1–10	554	0.33	668	0.33
539	1–18–0	556 मी.	0.28	670	0.28
		556 मी	0.03	671	0.03
		556 मी.	0.20	672	0.20
548	2–10–0	560 मी.	0.05	673	0.07
		560 मी.	0.28	674	0.28
549	0–14–10	565 मी.	0.02	673	0.07
		565 मी.	0.22	[illegible]82	0.22
555 मी	0–7–0	565	0.0[illegible]	[illegible]	0.06
549	0–14–10	565 मी.	0.22	[illegible]	0.22
553	2–5–0	[illegible] मी.	0.54	683	0.54
554	5–2–10	569	0.54	683	0.54
550	1–3–10	566	0.19	686	0.19
557	6–18–0	570 मी.	0.19	690	0.19
		570 मी.	0.17	691	0.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

		570 मी.	0.39	692	0.39
560 मी.	5–3–0	570 मी.	0.37	693	0.37
		571 मी.	0.08	695	0.08
		571 मी	0.52	696	0.90
562	3–13–10	577 मी.	0.38	696	0.90
561	0–2–0	576 मी.	0.05	697	0.05
563	5–11–10	576 मी.	0.77	698	0.77
559	1–2–0	573 मी.	0.18	696	0.23
560 मी.	0–4–0	572	0.05	699	0.23
531	2–1–10	572	0.05	699	0.23
558	3–10–0	574	0.56	700	0.56
532	0–10–0	544	0.08	653	0.62
531	3–6–0	545	0.54	653	0.62
528	1–18–10	547	0.31	655	0.31
555 मी.	3–17–10	563 मी.	0.67	680	0.60
556	4–7–10	563 मी.	0.67	680	0.60
534	3–15–10	542 मिन	0.41	650	0.41
536	2–13–10	542 मिन	0.20	651	0.20
540	1–5–3	550	0.43	659	0.43
555 मिन	2–0–0	557	0.03	667	0.03
547	3–3–2	557 मिन	0.20	672	0.20
555	3–17–10	561	0.50	675	0.50
556	4–7–10	563	0.46	694	0.46

धोलादाँता देराठू

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
1	1–3–0	1	1–3–0	1	0.79
2	1–4–10	1	1–4–10	1	0.79
3	0–14–0	1	0–14–0	1	0.79
4	2–11–10	1	2–11–10	1	0.79
13	0–12–0	10	0–12–0	18	0.10
34	1–19–0	19	1–19–0	22	0.10
35	1–16–10	18	1–16–10	23	0.29
				33	0.01
54	1–13–0	34	8–3–0	56	1.32
		33	3–8–0	56	1.32
44	1–13–10	57	1–0–0	41	0.09
				34	0.16
		52	0–8–10	34	0.16
		52	0.03	35	0.03
55	3–5–0	36	3–5–0	57	0.49
40	2–2–0	55	2–2–0	[illegible]	0.34
20	0–12–0	20 मी.	0–9–0	[illegible]	0.19
		20 मी.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	3–8–3	4	3–8–3	[illegible]	[illegible]
14	3–3–10	11	2–8–10	24	0.38
		12	0–16–0	25	0.14
15	2–0–0	12	2–0–0	25	0.14
5	5–16–0	2	5–16–0	2	0.09

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

				3	0.85
23	0–8–0	23	0–8–0	15	0.06
22	0–16–0	22	0–16–0	16	0.13
46	1–1–10	51	1–1–0	34	0.16
45	0–4–0	56	0–4–0	36	0.03
117	0–16–10	94	0–16–0	97 / 1112	0.13
119	1–7–10	94	1–7–10	97	0.93
118	1–10–10	94	1–10–10	21	0.21
120	1–3–10	94	1–3–10	20	0.42
121	3–10–10	95	3–10–0	97	0.93
91	1–16–0	81	1–16–0	70	0.29
		49 / 912	0.48	14	0.48

राताखेडा

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4717	0–3–0	36	0–3–0	1 / 556	0.02
4718	0–13–0	38	0–13–0	1 / 557	0.67
4719	1–8–0	38	1–8–0	1 / 557	0.67
4709	4–5–0	35	4–5–0	1 / 554	0.69

उक्त 4 ग्राम की आराजी मुतनाजा चौसाला जमाबंदी में प्रार्थीगण के दादा धन्ना अहीर की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। धन्ना की पत्नी की मृत्यु हो गयी है। धन्ना के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द हुये। सालगराम पुत्र धन्ना के वारिस भंवरलाल, रामनिवास, भागचन्द, शंकर, नन्दकिशोर पुत्र व विमला, कमला पुत्रिया है जिसमे से नंदकिशोर पुत्र व कमला पुत्री जीवित है, शेष वारिसान का स्वर्गवास हो गया है। जिनके वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। धन्ना के अन्य पुत्र मोहन पुत्र धन्ना के पुत्र चांदमल, रामलाल, मुरली, बंशीलाल, श्यामलाल, सूरजकरण, व पुत्री रामप्यारी, कौशल्या, दुर्गा, बबली, गायत्री हुये, जिनमें से पुत्री रामप्यारी, दुर्गा की मृत्यु हो गयी है के वारिसान प्रकरण में पक्षकार है। उमराव पुत्र धन्ना के पुत्र नाथू सिंह, रामचन्द्र, अशोक, व पुत्रियॉ मालती, लाजवंती, मेना, माया है इनके पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु हो गयी है। जिसके वारिस प्रकरण में पक्षकार है। शेष वारिसान जीवित है। ताराचन्द पुत्र धन्ना की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस उदय सिंह, जय सिंह, करण पुत्र शांति देवी, भगवती, देवी, संपत, सरस्वती, पुष्पा पुत्री है। करण सिंह, तथा पुत्री शान्ति देवी, भगवती, संपत की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस पक्षकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के मूल खातेदार धन्ना व उसके वारिस पत्नी तथा पुत्रों की मृत्यु हो गयी है जिस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण सरस्वती देवी व पुष्पा मृतक ताराचन्द की पुत्री है। उक्त आराजी ताराचन्द पुत्र धन्ना की पुश्तैनी है किन्तु विरासत का नामान्तकरण करते समय आराजी मुतनाजा पर ताराचन्द के पुत्र उदय सिंह, जय सिंह, व करण सिंह का नाम ही अंकित कर दिया जबकि ताराचन्द की पुत्रिया प्रार्थीगण व संपत, भगवती देवी, शान्ति देवी का नाम भी उक्त आराजी में दर्ज करना चाहिये था। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी की जा रही है ... करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया ज... आराजी मुतनाजा पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये ... किया गया। अप्रार्थी संख्या 55 ने जवाब पेश कर चरण संख्या 1 से 7 को स्वीकार किया व निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा बाबत वाद मुरलीधर बनाम विमला हाजा न्यायालय में विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण धन्ना के पुत्र ताराचन्द की विधिक वारिस है। प्रार्थीगण का धन्ना के अन्य पुत्रो की आराजी पर कोई हक निहित नही है। अतः प्रार्थीगण को धन्ना के अन्य पुत्रों के हक की आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जावे।

अप्रार्थी संख्या 30 व 39 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का स्वीकार किया व निवेदन किया कि जवाबकर्ता का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थीगण उनके हिस्से में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा पुश्तेनी होने के कारण प्रतिदावा स्वीकार कर जवाबकर्ता का विमला व रामनिवास पुत्र सालगराम के हिस्से पर नाम दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5, 8 व 9 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वारिसान के संबध में कोई शजरा पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता व अन्य वारिसान का नाम चौसाला जमाबंदी से वर्किग जमाबंदी में नियमानुसार खातेदारी जरियें विरासत नामान्तकरण दर्ज की गयी है तथा आराजी मुतनाजा में वर्ष 2005 में पुत्रियों का अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रदत किया गया के पूर्व में ही अप्रार्थीगण के नाम नियमानुसार खातेदारी दर्ज की गयी है। आराजी मुतनाजा पर दर्ज सभी खातेदार विगत 50 वर्ष से खातेदार दर्ज चले आ रहे है। उक्त समय पुत्रियों का कोई अधिकार नही होने से उनका नाम दर्ज नही किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2020 में विनिता शर्मा बनाम राकेश प्रकरण में पैरा संख्या 129 में स्पष्ट किया है कि जो भूमि वर्ष 2005 से पूर्व मृत्यु उपरान्त खातेदारी दर्ज कर दी गयी है या मालिकाना हक दे दिया गया अथवा बैचान कर दी गयी, विभाजन कर दिया गया तो पुत्रियों का कोई अधिकार नही होगा। प्रगश्नगत प्रकरण में 2005 से पूर्व ही अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर अलग से खाते कायम किये गये जिसे प्रार्थीगण द्वारा कोई चुनौती नही दी हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान प्रार्थीगण ने आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 59/66 की आराजी को भी अंकित कराया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार ग्राम देराठू, धोलादांता देराठू, बारापत्थर व राताखेडा की आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में धन्ना के चार पुत्र सालगराम, मोहन, उमराव व ताराचन्द/वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन हे कि उक्त आराजी उनके दादा धन्ना की होने के कारण उनका भी हक व अधिकार निहित है। अप्रार्थी संख्या 30, 39 व 55 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पुश्तेनी है तथा प्रार्थीगण धन्ना के पुत्र ताराचन्द की पुत्रियॉ है। जिस कारण आराजी मुतनाजा पुश्तेनी होना व प्रार्थीगण ताराचन्द की पुत्री होना निर्विवाद है। अप्रार्थी संख्या 5, 8 व 9 ने जवाब में कथन किया है कि वर्ष 2005 के समय पुत्रियों का कोई अधिकार नही होने से आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही किया गया। किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रक[illegible] शर्मा बनाम राकेश में पारित आदेश 11.08.2020 के अनुसार सहदायिक बनने [illegible]क बनने के लिये यह आवश्यक नही है कि पूर्ववती सहदायिक [illegible] किया गया है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधि[illegible] 2005 [illegible] से लागू होगा तथा संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई पुत्रियॉ पैतृक सपति मे [illegible] 6 के अनुसार सहदायिक मानी जावेगी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के [illegible] संख्या 129 से भी

--8

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण के कथनों की ताईद होती है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आराजी मुतनाजा पुश्तेनी है, आराजी मुतनाजा के स्व अर्जित होने के कोई प्रमाण पत्रावली में नही है। साथ ही प्रार्थीगण को भी धन्ना की वारिस स्वीकार किया है। अतः आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया हक निहित है। अप्रार्थी संख्या 55 का कथन है कि प्रार्थीगण का धन्ना के अन्य पुत्रो की आराजी पर कोई हक निहित नही है। अतः प्रार्थीगण को धन्ना के अन्य पुत्रों के हक की आराजी पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जावे। किन्तु आराजी मुतनाजा अविभाजित है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजी के विभाजन का काई साक्ष्य व दसतावेज पेश नही किया है अविभाजित आराजी पर धन्ना के अन्य पुत्रों का अलग से हक निर्धारित नही किया जा सकता है। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में उपस्थित नही हुये है। भूमि पुश्तैनी होने व विरासत के समय प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 30 व 39 ने प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी मुतनाजा पर विमला व रामनिवास पुत्र सालगराम के हिस्से की आराजी पर हक व अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। सालगराम के नाम उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में दर्ज होने के कारण आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 30 व 39 की पुश्तैनी सिद्व होती है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की पुश्तैनी है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेख व मौका स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता व अपूरणीय क्षति की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में मूल वाद के निस्तारण तक आराजी मुतनाजा का संरक्षण आवश्यक है। शेष तथ्यो का गुणावगुण पर निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम देराठू, धोलादांता देराठू, बारापत्थर व राताखेडा की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर राजस्व अभिलेख व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:25:10 IST
Reason: SelfAttested